FRs of Sr. PS/SI(steno)/Insp(ST)/SM(ST)/Insp(HT)/SM(HT) (1)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2009/आश्विन 16,1931

No. 576] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2009/ASVINA 16,1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 728(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्येष्ठ निजी सचिव भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्येष्ठ निजी सचिव भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ निजी सचिव	2*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन कि जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ख',राजपत्रित,(अनुसचिवीय)	9300–34800/–रू0 धन 4800/–रू0 ग्रेड वेतन (4 वर्ष की सेवा पूर्ण के उपरांत ग्रेड वेतन रू0 5400/–)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(12)
प्रोन्नति : ऐसे सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) में से, जिन्होंने संबंधित श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):– 1. पुलिस महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -- अध्यक्ष 2. दो उप महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- सदस्य : 1 और 2	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. आर. 9-1/2009-मिन./सी.आर.पी.एफ./पर्स-2]

एस.सी. शिवाजी राव, उप-सचिव (कार्मिक-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2009

G.S.R. 728(E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Reserve Police Senior Private Secretary Recruitment Rules, 2007, except as respect, things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Senior Private Secretary Recruitment Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** -The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Senior Private Secretary	02* (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted (Ministerial)	Rs. 9300-34800 plus Rs. 4800 Grade pay (Grade pay Rs.5400 after complet-ion of 4 years)	Selection	Not - applicable	Not - applicable	Not - applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion /'deputation / absorption to be made.	If a depart-mental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not - applicable	Not - applicable.	By promotion	From amongst Subedar Major (Stenographer) with two years regular service in their respective grade. Note- Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) 1. Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman. 2. Two Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Members - I and II	consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No.R. IX-1/2009-Min./C.R.P. F./Pers-II]

S.C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.(Pers-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 729(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4200/- रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(12)
ऐसा पदधारी, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सदृश पद धारण किए हुए है और जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है । प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं. आर. 9-1/2009-मिन./सी.आर.पी.एफ./पर्स-2]

बरुण कुमार साहु, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 729(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Librarian), Recruitment Rules, 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Librarian) in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force , Sub-Inspector (Librarian) Recruitment Rules, 2009.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts , classification and scale of pay -** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification, -** No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sub-Inspector (Librarian)	1* (2009)* Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 9300 - 34800 plus Rs. 4200 Grade pay	Not - applicable	Not - applicable	Not - applicable.	Not - applicable

365361/09-2

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion / deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods:	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not - applicable	Not-applicable	By deputation.	Official of Central Reserve Police Force holding analogus posts and having Diploma in Library Science. Period of deputation shall not ordinarily exceed five years. Note 1. - Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not - applicable	Not - applicable.

[No.R. IX-1/2009-Min./C.R.P.F./Pers-II]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 730(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	123* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4200/- रु0 ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(12)
प्रोन्नति : चिकित्सीय प्रवर्ग शेप 1 के अध्यधीन रहते हुए ऐसे सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक), जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है ।   **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेण्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **सदस्य : 1 और 2**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक (आशुलिपिक)	91* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4600/- रु0 ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)
प्रोन्नति : ऐसा उप निरीक्षक (आशुलिपिक), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेण्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **सदस्य : 1 और 2**	we —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सुबेदार मेजर (आशुलिपिक)	28* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4800/- रु0 ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)
प्रोन्नति : ऐसा निरीक्षक (आशुलिपिक), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- अध्यक्ष 2. दो कमान्डेण्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- सदस्य : 1 और 2	लागू नहीं होता

[Ti.' आर. 9-1/2009-मिन./सी.आर.पी.एफ./पर्स-2I

बरुण कुमार साहु, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 2003, and the Central Reserve Police Force Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2007, in so far as it relates to the post of Sub-Inspector (Ministerial), except as respect things done br omitted to be done before such supersessions, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer), in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009.
   (2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** - The number of the said posts, their 'classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc** - The method of recruitment, age limit, qualifications and othei matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power** to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sub-inspector **(Stenographer)**	**123*** (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	**Rs.** 9300-34800 plus **Rs.4200** Grade pay	Selection	Not - applicable	Not - applicable.	Not - applicable
2.Inspector (Stenographer)	**91*** (2009) * Subject to variation dependent on **workload**	**General** Central Service Group **'B'** Non-**Gazetted** (Ministerial)	**Rs. 9300-** 34800 **plus Rs.4600** Grade pay	Selection	Not - applicable	Not - applicable	Not - applicable
3. **Subedar** Major **(Stenographer)**	**28*** (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central **Service** Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	**Rs.** 9300-34800 plus **Rs.** 4800. Grade pay	Selection	Not - applicable	Not - applicable	Not - applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in **the** case of **promotees.**	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or **by** promotion / deputation/ absorption **and** percentage of vacancies **to** be **filled** by various methods.	In case of **recruitment** by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to **be** made.	If a depart-mental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
Not - applicable	Two years	By promotion.	Assistant **Sub-**Inspector **(Stenographer) with** six years of regular **in the grade** subject to medical category SHAPE-1.	Group 'B' **Departmental** Promotion Committee (for **confirmation**) - 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force - Members: I and II	Not - **applicable.**
Not - applicable	Not - applicable	By promotion	Sub Inspector (Stenographer) **with** five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered **for** promotion their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for **Promotion)** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police **Force - Chairman.** 2. Two **Commandants,** Central **Reserve Police Force - Members- I and II**	Not - applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not - applicable	Not - applicable	By promotion	Inspectors (Stenographer) with two years regular service in the grade. Note- Where juniors who .have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman. 2. Two Commandants, central Reserve Police Force - Members-I and II	Not -

[No.R. IX-1/2009-Min./C.R.P.F./Pers-II]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

3653 GI/09-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 731(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) तथा सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)	55* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुनसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4600/- रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) । ऐसे पदों के संबंध में, जिनमें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति की जानी हैं, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो । **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय में रूप में रही हो । **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो । **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री तथा हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र या केंद्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

365301/09-4

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(12)
प्रतिनियुक्ति/के0रि0पु0बल/केंद्रीय/राज्य पुलिस संगठन के योधक अनुसचिवीय कर्मचारियों में से आमेलन द्वारा-- (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; **या** (ii) जिन्होंने 9300-34800/- रु0 धन 4200/- रु0 ग्रेड वेतन के वेतनमान या समतुल्य 4 नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने 5200-20200/- रु0 धन 2800/- रु0 ग्रेड वेतन के वेतनमान या समतुल्य 4 उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो । (ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1**-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2**--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेण्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **सदस्य : 1 और 2**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सुबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	9300-34800/- रु0 धन 4800/- रु0 ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)
प्रोन्नति : ऐसा निरीक्षक (हिंदी अनुवादक), जिन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून की नियमित सेवा की है।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **अध्यक्ष** 2. दो कमान्डेण्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -- **सदस्य : 1 और 2**	लागू नहीं होता

[सं. आर. 9-1/2009-मिन./सी.आर.पी.एफ./पर्स-2]

बरुण कुमार साहु, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 731(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator), in the Central Reserve Police Force, namely: -

1. **Short title and commencement - (1)** These rules may be called the Central Reserve Police Force Inspector(Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts , classification and scale of pay -** The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification -** No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such mamage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Inspector (Hindi Translator)	55* (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non Ministerial)	Rs. 9300-34800 plus Rs. 4600 Grade pay	Not applicable	Not applicable	Thirty years (Relaxable for Govenunent servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Governments). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District	Master Degree from a recognised University in Hindi or English with English and Hindi as a compulsoryor elective subject or as medium of examination at Degree level. **OR** Master Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of two as medium of examination and other as compulsory or elective subject at degree level. **OR** Master Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with English or Hindi medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level. **OR** Bachelor's Degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective

						and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit , in each case, will be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.	subjects or either of two as medium of examination and other as compulsory /elective subjects plus a recognised Diploma Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertaking.
2. Subedar Major (Hindi Translator)	01* (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non Ministerial)	Rs. 9300-34800 plus Rs. 4800 Grade pay	Selection	Not - applicable	Not - applicable	Not - applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion / deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a depart-mental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not - applicable	Two years for direct recruits.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.	Deputation/absorption from amongst combatised Ministerial staff of Central Reserve Police Force / Central / State Police organisation holding: (a) (i) analogous post on a regular basis **OR** (ii) posts in the pay scale of Rs. 9300-34800 plus Rs. 4200 Grade pay or equivalent with five years regular service in the grade. (iii) Posts in the pay scale of Rs. 5200-20200 plus 2800 Grade pay or equivalent with eleven years regular service in the grade. (b) Possessing educational qualifications laid down in Column 8 for direct recruits. Note 1. - Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force- Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- Members- I and II	**Not applicable.**

(26)

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not - applicable	Not - applicable	By promotion	Inspector (Hindi Translator) who have rendered not less than two years regular service in the grade in Central Reserve Police Force. Note- Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force - Members- I and II.	Not - applicable.

[No.R. IX-1/2009-Min./C.R.P.F./Pers-II]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Amendment in RR: Insp (ST), SM (ST), Insp (HT), SM (HT), Insp (M) and SM (MIN.). (27)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933

No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 12 के अधीन निरीक्षक (आशुलिपिक) से संबंधित, ''श्रेणी में सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 की शर्त के अधीन रहते हुए श्रेणी में सेवा'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) से संबंधित, ''श्रेणी में सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 की शर्त के अधीन रहते हुए श्रेणी में सेवा'' शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 478(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009,—

(a) relating to the post of Inspector (Stenographer), under column 12, for the words "service in the grade", the words "service in the grade subject to Medical Category Shape-I" shall be substituted;

(b) relating to the post of Subedar Major (Stenographer), under column 12, for the

words "service in the grade", the words "service in the grade subject to Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers.)

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 730(E), dated the 8th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में, स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) से संबंधित, ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 है'' शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 731(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Amendement Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009, relating to the post of Subedar Major (Hindi Translator), under column 12, for the words "in the grade in Central Reserve Police Force", the words "in the grade in the Central Reserve Police Force and having Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers.)

Footnote: —The Principal rules were published vide No. G.S.R. 731(E), dated the 8th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,

(क) स्तम्भ 12 के अधीन निरीक्षक (अनुसचिवीय) से संबंधित, ''श्रेणी में सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 है'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) से संबंधित, ''श्रेणी में सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 है'' शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 868(अ), तारीख 29 अक्तूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force

Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010, namely :—

I. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Amendement Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010,

(a) relating to the post of Inspector (Ministerial), under column 12, for the words "service in the grade", the words "service in the grade and having Medical Category Shape-I" shall be substituted;

(b) relating to the post of Subedar Major (Ministerial), under column 12, for the words "service in the grade", the words "service in the grade and having Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers.)

Footnote :—The Principal rules were published *vide* No. G.S.R. 868(E), dated the 29th October, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.